†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य बेरूबाड़ी को अन्य विषयों के साथ मिला रहे हैं। बेरूबाड़ी का आधा भाग ४½ वर्गमील है। हमारी सूचना यही है कि बेरूबाड़ी में केवल ४½ वर्गमील का सीमांकन किया जाना है। ६ वर्गमील का कोई सवाल नहीं है। इस के अलावा, सीमांकन सारे बार्डर का हो रहा है। किसी क्षेत्र को दे देने का सवाल नहीं है। विभिन्न पंचाटों के अनुसार ही इस क्षेत्र का सीमांकन हो रहा है और सीमा-स्तम्भ खड़े किये जा रहे हैं।

राष्ट्रपति कैनेडी के अन्त्येष्टि संस्कार के समय भारत के प्रतिनिधित्व के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हिन्दी में कहूं या अंग्रेजी में ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों में कह दीजिए।

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तानी बोलिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : २३ तारीख की सुबह हमें यह अफसोसनाक खबर मिली थी प्रेजीडेण्ट कैनेडी की निस्बत। उस तारीख को फौरन हम ने अपने झंडे हाफ मास्ट करने की हिदायत दे दी थी। हमें मालूम नहीं था कि कब फ्यूनरल होगा। तफसील की इत्तिला नहीं थी। फिर भी हमने अपने एम्बसेडर को लिखा। वह तो जाते ही उसमें। और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो वहां थीं, न्यूयार्क में, उन से कहा कि वह भी प्रेजीडण्ट की तरफ से जायें। २४ तारीख की सुबह, यानी दूसरे रोज़ सुबह हमें कुछ ज्यादा मालूम हुआ फ्यूनरल का और हमारी ख्वाहिश हुई कि कोई न कोई और शख्स यहां से भेजा जाये। दो नाम आये उसमें। एक तो वाइ-प्रेजीडेण्ट का और एक मेरा। वाइस-प्रेजीडेण्ट साहब तो यहां थे भी नहीं दिल्ली में। वह जबलपुर गये हुए थे। हमने काफी हिसाब लगाया और गौर किया। कोई ज़रिया नहीं था हमारा वक्त पर वाशिंगटन दूसरे रोज़ फ्यूरल के लिए पहुंच जाने का, दूसरी सुबह तक। चुनाचे मजबूरन हमें छोड़ देना पड़ा कि कोई और शख्स यहां से जाये। २४ तारीख की यह बात है। हम ने जो कुछ और इंतजाम हम कर सकते थे, किये, लोगों के जाने के। यहां आप जानते हैं हाउस ने खुद तय किया कि एडजर्न हो जाये उस रोज़। यहां उस रोज़ सब जगह गवर्नमेंट की छुट्टी मनाई गई और उस रोज़ सुबह के वक्त मेमोरियल सर्विस हुई। उस में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मैं अलावा आपके, हम सब गए थे। जो कुछ कर सकते थे हम ने किया। लेकिन मजबूरी दर्जे हो नहीं सकता था हमारा जाना वहां। कोई खास मामूली हावई जहाज़ से यह नहीं हो सकता था। नया ज़रिया होता पहुंचने का तो कोई और बात थी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ २४ तारीख का समय था और २५ तारीख को सुबह होने वाला था फ्यूनरल। आम तौर से हम जाते मामूली सर्विस प्लेन से, तो रात को जाते २४ तारीख को और सुबह लन्दन पहुंचते। वहां से जाते तो कुछ देर बाद वाशिंगटन पहुंचते तीसरे पहर को फ्यूनरल के बाद। यह दिक्कत थी। इसलिए और कुछ ज्यादा इन्तजाम नहीं कर सकते थे। जो कुछ हम कर सकते थे, हमने किया।

अब मैं अंग्रजी में कह दूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दर्खास्त करूंगा कि इस पर कोई सवाल न किया जाये तो बहतर होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आप आगे बहस के लिये लेंगे न ?

---

†मूल अंग्रजी में

अध्यक्ष महोदय : यह बहस के लिये नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्योंकि मैं ने एक सवाल भी दिया था और उसके साथ साथ एक प्रस्ताव भी दिया था, और मैं आप से अर्ज करूं कि इस बहस से विदेश मंत्री का भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि ऐसे मौके पर क्या करना चाहिये, और शायद जो निर्णय शक्ति का लोप हो चुका है, जिस का असर सरकार के हर एक काम पर पड़ रहा है, उस में भी कुछ फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत लम्बी चौड़ी है जो आप करना चाहते हैं इस लिये आप मुझे लिख कर भेज दें। अगर आप का ख्याल है कि इस बारे में बहस करने से हाउस का फायदा होगा, तो मैं आप से कहूं कि इस से न देश का फायदा होगा है न किसी और का होगा। इस वास्ते मैं सब मेम्बर साहबान से अपील करना चाहता हूं कि वे इसकी बहस यहां न छेड़ें। गवर्नमेंट का जो बयान था वह उस ने दे दिया है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह देश के हित में होगा कि इस पर खुली बहस हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से अपील की, मैं ने इस बात को बहुत सोचा और आप से भी अर्ज किया जब आप मेरे पास आये कि मैं इस को देश के हित में नहीं समझता और इस वास्ते मैं इस बहस की इजाजत नहीं दे सकता।

डा० मनोहर लोहिया : मैं क्या आप से एक बात पूछ सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बारे में अनुमति ही न दी जाय। (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा भी यही विचार है। इस से हमें हानि होगी। लाभ नहीं होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह तो पहले ही हो चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, ऐसा नहीं हुआ।

डा० राम मनोहर लोहिया : म आप से अर्ज करना चाहता हूं कि इस से हर तरह का फायदा होगा क्योंकि यह केवल राष्ट्रपति कैनेडी और अमरीका तथा हिन्दुस्तान का ही मामला नहीं है। विदेश मंत्री की निर्णय शक्ति खत्म हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह बातें दूसरी जगह कर लीजियेगा। एक और कालिंग अटेंशन नोटिस है, उस को ढाई बजे ले लेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संसद् के अधिकारी (मोटर कारों के लिए अग्रिम धन) संशोधन नियम

†**सदस्य कार्यमंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २८ सितम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में